



पत्रांक : प्रशा०/1755/2023 दिनांक : 06/05/2023

## कार्यालय आदेश

मा० कुलपति जी के आदेशानुसार सत्र 2022-23 के लिए विश्वविद्यालय के आवासीय परिसरों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु एन्टी रैगिंग कमेटी (Anti Ragging Committee) कमेटी का गठन किया जाता है:-

1. मुख्य कुलानुशासक
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण
3. निदेशक — होटल एवं पर्यटन संस्थान, संस्कृति भवन।
4. निदेशक — के०एम०आई०।
5. निदेशिका — गृह विज्ञान संस्थान।
6. निदेशक — दाऊ दयाल व्यवसायिक शिक्षण संस्थान।
7. प्रो० यू०सी० शर्मा — अधिष्ठाता, कला संकाय।
8. प्रो० अनिल गुप्ता — हैड, विश्वविद्यालय कम्प्यूटर केन्द्र।
9. प्रो० ब्रजेश तिवारी — विभागाध्यक्ष फार्मेसी, विभाग।
10. प्रो० भूपेन्द्र स्वरूप शर्मा — अधिष्ठाता, लाइफ साइंस संकाय।

समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त सदस्यगण।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/अधीक्षक/प्रभारी/समन्वयक/आवासीय संस्थान।
4. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
5. प्रो० बी०पी० सिंह, प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट।
6. समस्त सहायक कुलसचिव।
7. गार्ड फाइल।

कुलसचिव